भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 540

उत्तर देने की तारीख 06.02.2025

टीआरआई योजना को सहायता

540. **श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:**
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर गुजरात और आंध्र प्रदेश में 'जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता' योजना के अंतर्गत दिए गए लाभों का राज्यवार प्रत्येक जनजातीय समुदाय के कितने छात्रों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान जनजातीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा वर्षवार और राज्यवार कितनी कार्यशालाएं, सेमिनार, आदान-प्रदान कार्यक्रम और सम्मेलन आयोजित किए गए;

(ग) जनजातीय भाषाओं में अनूदित और प्रकाशित किए गए तथा बेचे गए प्राइमरों, कहानियों, पुस्तकों, कविताओं आदि की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों में बहुभाषी शिक्षा को सहायता देने और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्र प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान (शोध) संस्थानों (टीआरआई) को सहायता' के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) में 29 जनजातीय अनुसंधान (शोध) संस्थानों (टीआरआई) को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो जनजातीय कार्य सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति के अनुमोदन के अधीन है। इस योजना के तहत, बुनियादी ढांचे की जरूरतों, अनुसंधान (शोध) और दस्तावेजीकरण गतिविधियों से सम्बंधित प्रस्ताव और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, जनजातीय संस्कृति प्रथाओं, भाषाओं और रीति रिवाजों

को संरक्षित और प्रसारित किये जाने हेतु अनूठी सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय त्योहारों और यात्राओं के आयोजन और जनजातियों द्वारा आदान-प्रदान यात्राओं का आयोजन किया जाता है। "टीआरआई को सहायता" योजना के तहत सहायता टीआरआई/राज्यों द्वारा किए गए प्रस्तावों पर आधारित है। मंत्रालय ने जनजातीय समुदायों के सामाजिक-सांस्कृतिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों की दिशा में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के जनजातीय अनुसंधान (शोध) संस्थानों को विभिन्न परियोजनाएं मंजूर की हैं। टीआरआई मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन संस्थान हैं। टीआरआई की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है। गुजरात और आंध्र प्रदेश सहित टीआरआई द्वारा जनजातीय समुदायों के छात्रों सहित जनजातीय समुदायों को लाभान्वित करने के लिए चलाई जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख इस प्रकार है:

i. जनजातीय भाषाओं में द्विभाषी शब्दकोश और त्रिभाषी प्रवीणता मॉड्यूल तैयार करना।

ii. नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बहुभाषी शिक्षा (एमएलई) उपाय के तहत जनजातीय भाषाओं में कक्षा 1, 2 और 3 के छात्रों के लिए प्राइमर तैयार करना।

iii. जनजातीय भाषाओं में वर्णमाला, स्थानीय कविताएँ और कहानियाँ प्रकाशित करना। इन प्रवेशिकाओं (प्राइमर्स) से जनजातीय भाषा बोलने वालों को अपनी भाषा में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझने और सीखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

iv. जनजातीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जनजातीय भाषाओं पर पुस्तकें और पत्रिकाएँ (जर्नल्स) प्रकाशित करना।

v. जनजातीय लोक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न जनजातियों की लोक गीत (लोक साहित्यों) और लोककथाओं का दस्तावेजीकरण करना। इसके अलावा, मौखिक साहित्य (गाने, पहेलियाँ, गाथाएँ, आदि) एकत्र करना।

vi. सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत आने वाले राज्यों में स्थानीय जनजातीय बोलियों में सिकल सेल एनीमिया रोग जागरूकता, निदान और उपचार के बारे में प्रशिक्षण मॉड्यूल का अनुवाद और प्रकाशन।

vii. सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएं और काव्य संगोष्ठियां आयोजित करना।

viii. देश भर में जनजातीय लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाने के लिए राज्य जनजातीय उत्सवों, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, जिसमें लोक नृत्यों, गीतों, व्यंजनों, प्रदर्शनियों और चित्रकला, कला और शिल्प, औषधीय प्रथाओं आदि में पारंपरिक कौशल के प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों के लिए "टीआरआई को सहायता" के तहत स्वीकृत कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, आदान-प्रदान (विनिमय) कार्यक्रमों और सम्मेलनों की संख्या अनुलग्नक II में दी गई है। इन गतिविधियों के माध्यम से, जनजातीय समुदाय के छात्रों को सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और आदान-प्रदान (विनिमय) कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग). टीआरआई ने विभिन्न जनजातीय भाषाओं में प्रवेशिकाएं (प्राइमर्स) तैयार की हैं। इस योजना के तहत, टीआरआई को जनजातीय बोलियों और भाषाओं में शब्दकोश और प्रवेशिकाएं (प्राइमर्स) विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न टीआरआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 39 भाषाओं/बोलियों में 200 प्रवेशिकाएं (प्राइमर्स) विकसित की गई हैं और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं।

(घ). सरकार ने जनजातीय समुदायों के बीच बहुभाषी शिक्षा को सहायता और प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। परिणामस्वरूप, टीआरआई द्वारा विभिन्न भाषाओं में लगभग 200 प्रवेशिकाएं (प्राइमर्स) विकसित किए गए हैं। इसके अलावा, जैसा कि नई शिक्षा नीति यह निर्धारित करती है कि छोटे बच्चे अपनी घरेलू भाषा और मातृभाषा में जल्दी सीखते और समझते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने 2013 में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर के तहत "लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और परिरक्षण की योजना (एसपीपीईएल)" शुरू की है, जो प्रवेशिकाएं (प्राइमर्स), द्वि/त्रिभाषी शब्दकोशों (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट प्रारूप), व्याकरणिक रेखाचित्र, सचित्र शब्दावलियों और समुदाय की जातीय-भाषाई प्रोफ़ाइल के रूप में 10,000 से कम वक्ताओं द्वारा बोली जाने वाली भारत की मातृभाषाओं/भाषाओं की भाषा और संस्कृति का दस्तावेजीकरण करती है। संस्थान ने एनसीईआरटी के साथ मिलकर कई जनजातीय भाषाओं के लिए प्रवेशिकाएं (प्राइमर्स) तैयार की हैं। इसके अलावा, विभिन्न टीआरआई द्वारा जनजातीय भाषाओं के लिए शब्दकोश, हैंडबुक और व्याकरण की पुस्तकें भी तैयार की गई हैं।

दिनांक 06.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 540 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

अनुलग्नक-I

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) की सूची

क्र.सं.	पता
1	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर - 744 101
2	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, आंध्र प्रदेश सरकार, जनजातीय कल्याण विभाग, कंधारी होटल रोड, रेवेन्यू कॉलोनी, विजयवाड़ा- 520 010
3	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और जनजातीय कार्य विभाग, राजीव गांधी स्टेडियम के पीछे, बी-सेक्टर नाहरलागुन, पिन: 791110, अरुणाचल प्रदेश।
4	असम जनजाति और अनुसूचित जाति अनुसंधान संस्थान, असम सरकार, जवाहरनगर, एनएच - 37, गुवाहाटी -781022
5	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ सरकार, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर-4, रायपुर
6	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014, गुजरात
7	जनजातीय अध्ययन संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समर हिल्स, शिमला- 171005, हिमाचल प्रदेश
8	जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान झारखंड सरकार, मोराबादी रोड, रांची - 834008
9	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जनजातीय कार्य निदेशालय जम्मू और कश्मीर सरकार, सिविल सचिवालय, जम्मू - 180001
10	कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान, #सीए-3 ट्रेजरी लाओट, केरगल्ली, मैसूर - 570026

11	केरल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अध्ययन, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास संस्थान, केरल सरकार, कोझिकोड - 673017
12	जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, मध्य प्रदेश सरकार, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462002
13	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, महाराष्ट्र सरकार, 28, क्वींस गार्डन, पुणे-411011
14	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, मणिपुर सरकार, चिंगमेइरोंग, इंफाल - 795001
15	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ओडिशा सरकार, यूनिट-VIII, सीआरपी स्क्वायर, भुवनेश्वर - 751003
16	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान सरकार, अशोक नगर, पोस्ट बॉक्स नं. 86. उदयपुर-313 001
17	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार, सम्य कल्याण भवन, कमरा नंबर 402, 5वां माइल, लुमसे, ताडोंग, गंगटोक-737 101
18	जनजातीय अनुसंधान केंद्र, तमिलनाडु सरकार, एम.पलाडा (पीओ), उडगमंडलम, नीलगिरी जिला, तमिलनाडु, ऊटी -643 004
19	टीसीआर एंड टीआई, तेलंगाना सरकार, डीएसएस भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-500 028
20	जनजातीय अनुसंधान और सांस्कृतिक संस्थान, त्रिपुरा सरकार, लेकचोवेमहुई, अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा -799001
21	सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार, पी6-1/4 सीआईटी स्कीम VII-एम, वीआईपी रोड, कंकुरगाछी, कोलकाता- 700054
22	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,

	उत्तर प्रदेश सरकार, भागीदारी भवन, (अंबेडकर पार्क के निकट), विपुलखंड-गोमती नगर, लखनऊ-226010
23	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण निदेशालय, चलत्लंग, आइजोल, मिजोरम 796012
24	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण निदेशालय, राजभवन के पास, कोहिमा, नागालैंड
25	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार, सुभाष रोड, सचिवालय, देहरादून - 248 001
26	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, बाबादम, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय
27	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जनजातीय कल्याण निदेशालय, 5वीं मंजिल, श्रम शक्ति भवन, पट्टो, पणजी, गोवा
28.	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, लद्दाख, करगिल कैम्पस, लद्दाख विश्वविद्यालय
29.	बिहार अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (बीएसटीआरटीआई) 64/40 ऑफिसर्स फ्लैट, नेहरू पथ, पटना- 800001

दिनांक 06.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 540 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

अनुलग्नक-II

<u>पिछले पांच वर्षों के दौरान "टीआरआई को सहायता" योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यशालाओं, सेमिनारों, आदान-प्रदान कार्यक्रमों और सम्मेलनों की संख्या निम्नानुसार है:</u>

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशालाओं/सम्मेलनों की संख्या	आदान-प्रदान यात्राओं की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6	1
2	आंध्र प्रदेश	20	12
3	अरुणाचल प्रदेश	1	2
4	असम	106	4
5	बिहार	4	1
6	छत्तीसगढ़	17	4
7	दिल्ली (एनटीआरआई)	2	-
8	गोवा	12	1
9	गुजरात	11	-
10	हिमाचल प्रदेश	4	1
11	जम्मू और कश्मीर	43	6
12	झारखंड	24	6
13	कर्नाटक	37	3

14	केरल	29	-
15	लद्दाख	3	3
16	मध्य प्रदेश	44	7
17	महाराष्ट्र	13	-
18	मणिपुर	9	2
19	मेघालय	1	-
20	मिजोरम	13	2
21	नागालैंड	20	3
22	ओडिशा	63	5
23	राजस्थान	11	-
24	सिक्किम	7	4
25	तमिलनाडु	27	4
26	तेलंगाना	25	5
27	त्रिपुरा	46	2
28	उत्तर प्रदेश	26	1
29	उत्तराखंड	18	3
30	पश्चिम बंगाल	20	2
	कुल	662	84

****